बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्र सं0:– आत्मा–18 / 2011– 6618 / कृ0, पटना, दिनांक 27/09/ , 2011

प्रेषक,

डा० एन० विजयलक्ष्मी, भा०प्र०से०,
सचिव–सह–राज्य नोडल पदाधिकारी,
आत्मा, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिलाधिकारी–सह–अध्यक्ष,
कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा)।

विषयः– **आत्मा योजना अन्तर्गत जिला स्तर पर किसान सलाहकार समिति के गठन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि केन्द्र प्रायोजित योजना "सपोर्ट टु स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर एक्सटेंशन रिफार्म्स (आत्मा)" की मार्गदर्शिका के आलोक में जिला स्तर पर किसान सलाहकार समिति का गठन किया जाना है। जिला स्तरीय किसान सलाहकार समिति के गठन हेतु निम्नवत् प्रावधान है :–

1. जिला स्तरीय किसान सलाहकार समिति के सदस्यों की अधिकतम संख्या 25 होगी (जिलान्तर्गत प्रखंड की संख्या के आधार पर सदस्यों की संख्या प्रतिबंधित होगी)।
2. जिलान्तर्गत प्रत्येक प्रखंड किसान सलाहकार समिति द्वारा बहुमत के आधार पर नामित 1–2 सदस्य जिला किसान सलाहकार समिति के सदस्य होंगे।
3. जिला स्तर पर पुरस्कार प्राप्त चयनित कृषक जिला किसान सलाहकार समिति के सदस्य होंगे।

अतः संलग्न आत्मा योजना की मार्गदर्शिका के आलोक में तदनुसार जिला स्तर पर किसान सलाहकार समिति के गठन की कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक : यथोक्त

विश्वासभाजन,

26/9/11

(एन० विजयलक्ष्मी)
सचिव–सह–राज्य नोडल
पदाधिकारी, आत्मा, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 6618 / कृ0, पटना, दिनांक 27/09/ 2011

प्रतिलिपि : निदेशक, बामेती, पटना / सभी परियोजना निदेशक (आत्मा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/9/11

सचिव–सह–राज्य नोडल
पदाधिकारी, आत्मा, बिहार, पटना।